

उनवान:- चिराग बनाम उदयसिंह वगै०
दावा बावत घोषणा खातेदारी, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक

फर्द अहकाम

24/3/25

वादी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बावत खातेदारी, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 17.04.2025 को पेश हो।

1221-27
24/3/25

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

17/5/25

वादी वकील/वकील उमम पक्ष उपस्थित
पीठारसीन अधिकारी...
पत्रावली गतानुसार दिनांक...
को पेश है। 21.5.25

21/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
उपस्थित नं० 1 वकायत 5 की ओर से श्री
मनोहर कुमार श्री एडवोकेट ने वकायात्मक
पेश किया जो श्राव्य पत्रावली रहे हुए
उपस्थित नं० 6,7 की ओर से वकील
उपस्थित/ वाकि वकाय दिनांक 24/6/25
को पेश है।

24/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
उपस्थित वकील को वकाय पेश करने की
सिफारिश की गई। वाकि वकाय दिनांक
21/7/25 को पेश है।

दिनांक

फर्द अहकाम

21.7.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्मय पट्टाकारण उपस्थित। प्रतिवादी वकील को जवाब पेश करने के लिए निर्दिष्ट मोकदा दिया गया। वारंट जवाब दिनांक 1.9.25 को पेश हो।

1.9.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्मय पट्टाकारण उपस्थित। प्रतिवादी वकील को जवाब पेश करने के लिए निर्दिष्ट मोकदा दिया गया। वारंट जवाब दिनांक 14.10.25 को पेश हो।

14.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्मय पट्टाकारण उपस्थित। प्रतिवादी वकील को जवाब पेश करने के लिए निर्दिष्ट मोकदा दिया गया। वारंट जवाब दिनांक 17.11.25 को पेश हो।

17.11.25

0.2.20 पत्र
उपस्थित
वकील को
पेश

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्मय पट्टाकारण उपस्थित। श्री अनिल कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्राची लखनवाड़, निम्नली और से प्राथम्य पत्र अर्जित करके 01 नवम्बर 10 अर्पित करा। 15/12/25 को पेश हो।

15.12.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्मय पट्टाकारण उपस्थित। वारंट जवाब दिनांक 07.01.26 को पेश हो।

07.1.26

पत्रावली पेश हुई। वकील उन्मय पट्टाकारण उपस्थित। वारंट जवाब दिनांक 07.01.26 को पेश हो।

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

क्र.सं.	फर्द अहकाम	
33/21	<p>पञ्जावती जेमडई वारी वकील ने रात वाकर लक्ष्मी लालिनी कि एम पञ्जावती उक्त पञ्जावती में भागे एकदम नहीं लड़ने पाएते है। रात वाकर वारी ने उपलब्ध डेजल आरे मेमबरी पर एतवार लिफ्ट, एवं उक्त पञ्जावती को नोट फ्रेम में वारिफ कराने का निवेदन किया वारी वकील का पत्र वाकर को पठा। वारी, लक्ष्मी वारी निवेदाज्य नोट फ्रेम में वारिफ किया जाता है पत्र</p> <p>पञ्जावती फ्रेम श्रमा देकर नम्बर के काज कर दाखिल व फ्रेम है</p>	<p>Not Pross</p> <p>Sh</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 टोडाभीम, जिला-करौली